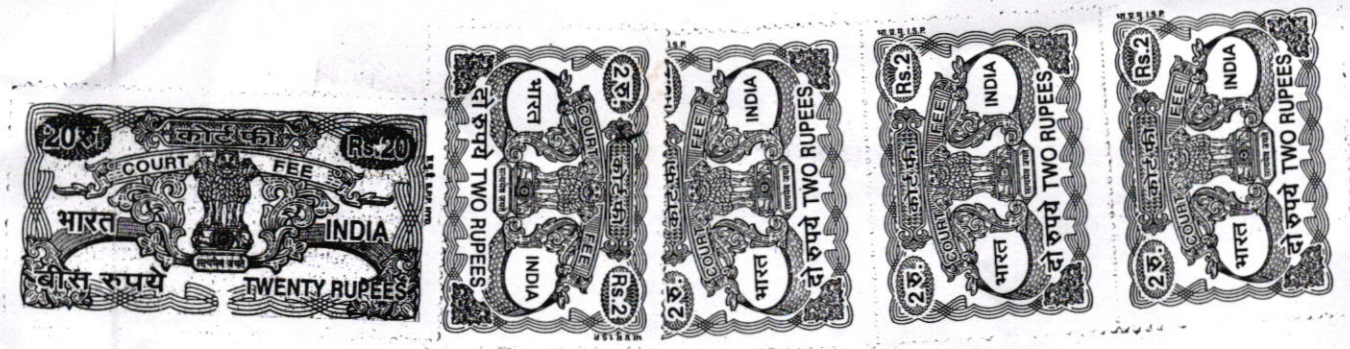

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1946

निगरानी /2018

वी.के. शुक्ला
21-3-18
12.4.18
21.3.18

1. कैलाश नारायण पुत्र बाला प्रसाद श्रीवास्तव
2. श्रीमति चंद्रकांता पत्नि स्व. राजेन्द्र कुमार ,
3. योगेश पुत्र राजेन्दे कुमार
4. तरूण पुत्र रोजन्द्र कुमार
5. कु. हिना पुत्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव निवासीगण राजेन्द्र नगर बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

................आवेदकनिगरानी कर्ता

बनाम

भगवान सिंह पुत्र देवी सिंह यादव, निवासी त्योंदा रोड होण्डा शो रूम के पीछे बासौदा जिला विदिशा म.प्र

.......................अनावेदक

आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण क्रमांक 16 अ,70 / 16,17न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय गंज बासौदा के आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध

माननीय महोदय,

V.K.SHUKLA

निगरानी निम्न तत्वों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि आवेदकगण ग्राम पचमा तहसील बासौदा आराजी क्रमांक 208रकवा 0.157 हेक्ट,209 रकवा 0.063 हेक्ट., 210 रकबा 0.125 हेक्ट.214 रकवा 0.105 हेक्ट., कुल रकबा 0.450 हेक्ट दृ भूमि के भूमि स्वामी है।
2. यह कि आवेदकगण उक्त भूमि का सीमांकन को तहसील न्यायालय में विधिवत शुल्क जमा कर दिनांक 18.06.2017 को ग्राम पटवारी एवं राजस्व निरक्षक महोदय बासौदा से मैं पुलिस बल के साथ सीमांकन कराया गया है। मौका पर सीमांकन टीम द्वार पंचनामा बना कर आवेदकगण मोके पर सीमाये समझाईयी है। चीरा पत्थर गडवाये गये है।
3. यह कि सीमांकन में उक्त आराजी का कुल रकबा 0.450 हे. अनावेदक भगवान सिंह के कब्जे में पाई गई सीमांकन के समय सीमांकन टीम राजस्व निरक्षण पटवारी द्वार पंचनामा फील्ड बुक तैयार की गई और मौके पर सीमाये समझा कर सीमा चिन्ह कायम किये गये है।
4. यह कि सीमांकन के बाद अनावेदकगण भूमि को हांकने बरखने खेती करने मौके पर गये तो भगवान सिंह कब्जा छोडने से इंकार कर दिया।
5. यह कि आवेदकगण ने सीमांकन पंचनामा एवं आवेदन थाना बासौदा में रिपोर्ट प्रस्तुत की तो पुलिस बासौदा द्वारा तहसील न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने हेतु आवेदकगण आवेदन को तहसील न्यायालय में भेज दिया।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1946

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/06/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं अनावेदकों के पूर्वजों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित प्रकरण में कब्जे से संबंधित विवाद का निराकरण वर्ष 1966 में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी बासौदा द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आने से प्रचलन योग्य न होने से प्रकरण समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	